मध्य प्रदेश शासन
नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग
:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 9 .06.2023

क्रमांकः एफ 1-5/2021/साठ :- राज्य शासन एतद् द्वारा विभागीय नवीन "मध्यप्रदेश नवकरणीय ऊर्जा नीति-2022" दिनांक 18.08.2022 को लागू की गई है। उक्त नीति में निर्देशानुसार आंशिक संशोधन करते हुए निम्न कंडिकाओं 2.1.2 एवं 2.2.2 को प्रतिस्थापित किया जाता है। नवकरणीय ऊर्जा नीति में संशोधन करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित है, जिसका उपयोग करते हुए **"मध्यप्रदेश नवकरणीय ऊर्जा नीति-2022"** दिनांक 18.08.2022 में निम्न कंडिकाओं को प्रतिस्थापित किया जाता है, जो इस प्रकार है:-

2.1:एक (1) मेगावाट तक की परियोजनाओं का पंजीकरण

2.1.2 A non-refundable registration cum facilitation fes of INR 100 per KW of Renewable Energy and/or Energy Storage capacity shall be paid by eligible projects. 50% of the same shall be towards facilitation charges of nodal agency and 50% shall be towards registration of project. Appropriate Bank details for the payment of registration cum facilitation shall be provided by the Nodal Agency at the time of submission of the application by the project developer.
2.1.2 पात्रता रखने वाले परियोनाओं के लिए **रूपए 100 प्रति किलोवाट नवकरणीय ऊर्जा तथा/अथवा ऊर्जा भंण्डारण क्षमता** की दर से पंजीकरण सह सुविधा शुल्क (अप्रत्यर्पणीय) का भुगतान करना होगा। इस राशि का 50% अंश सुविधा प्रभारों तथा 50% अंश परियोजना के पंजीकरण हेतु होगा। पंजीकरण तथा सुविधा प्रभारों के लिए नियत खातों की जानकारी आवेदन के समय दी जाएगी

2.2:एक(1) मेगावाट से अधिक क्षमता की परियोजनाओं का पंजीकरण

2.2.2 A non-refundable registration cum facilitation fees of INR 1lakh per MW of Renewable Energy and/or Energy Storage capacity shall be paid shall by eligible projects. 50% of the same shall be towards facilitation charges of nodal agency and 50%shall be towards registration of project. Appropriate Bank details for the payment of registration cum facilitation shall be provided by the Nodal Agency ath the time of submission of the applicaton by the project developer.
2.2.2 पात्रता रखने वाली परियोजनाओं के लिए रूपए एक (1) लाख प्रति मेगावाट नवकरणीय ऊर्जा तथा/अथवा ऊर्जा भंडारण क्षमता की दर से पंजीकरण सह सुविधा शुल्क (अप्रत्यर्पणीय) का भुगतान करना होगा। इस राशि का 50% अंश नोडल एजेन्सी के सुविधा प्रभारों तथा 50% अशं परियेाजना के पंजीकरण हेतु होगा।

उपरोक्त नीति आधारित शक्तियों का प्रयोग कर ऊर्जा भण्डारण परियोजना के रजिस्ट्रेशन के पालन में आ रही भ्रांति को दूर करने एवं नीति को और अधिक स्पष्ट करने के उद्देश से स्पष्टीकरण किया जाता है। उक्त दिशा-निर्देश नवीन **"मध्यप्रदेश नवकरणीय ऊर्जा नीति-2022"** दिनांक 18.08.2022 से ही लागू मानी जावेगी।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(शर्मिला ठाकुर)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग

पृ.क्र. : एफ 1-5/2021/साठ
भोपाल, दिनांक 9 **.06.2023**

प्रतिलिपि :-

1. अध्यक्ष, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड (RUMSL) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्रबंध संचालक, म.प्र.ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. अपर आयुक्त, कार्यालय आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. स्टॉफ आफिसर, प्रमुख सचिव, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग की ओर सूचनार्थ।
5. गार्ड फाईल।

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग